सिद्धार्थनगर पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 28-08-2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆वांछित/वारण्टी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु जनपद के समस्त थानों द्वारा अभियान के तहत कार्यवाही करते हुए अलग-अलग मामलों में 11 वांछित एवं 21 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के आदेश के क्रम में वाछिंत/पुरस्कार घोषित/वारण्टी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के तहत डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के निर्देशन में प्रशान्त कुमार प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 27/28.08.2025 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा कुल 11 वांछित व 21 वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, जिन्हे नियमानुसार विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

आज दिनांक 28-08-2025 को गिरफ्तार का विवरण (वांछित/वारंटी)-

01-मिठाई लाला पुत्र जुक्तीलाल निवासी सागररौजा थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर दण्डवाद संख्या 679/29 धारा 143,447 भादवि।

02- फूलचन्द उर्फ छांगुर पुत्र हेमचन्द साकिन पचमोहनी थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर, वाद संख्या 519/05 धारा- 323,504,506 भादवि।

03. परमेश्वर पुत्र हंसराम साकिन भैसा थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर वाद संख्या 1545/15 धारा 323,325,427 भादवि।

04. हरिवंश उर्फ हरवेश कुमार पुत्र सोमई साकिन मैनिहवा टोला सिरकिहवा थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर, वाद संख्या-63/10 धारा 323/504/506 आईपीसी।

05.प्रकाश साहनी पुत्र स्व0 बनवारी साकिन दतरंगवा थाना व जनपद सिद्धार्थनगर. वाद सं0 1410/09 धारा 504,506 भा0द0वि0।

06.शहीद पुत्र नामदार साकिन आजादनगर थाना व जनपद सिद्धार्थनगर वाद सं0 1825/01 धारा 323, 504, 506, 336 भा0द्0वि0 ।

07.कुनमुन पुत्र नर्सिंह सा0 तेनुई थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर, एसटी न0 10/2017 धारा 323/504/352/506 भा0द0वि0 व 3(1)X, SC/ST।

08.प्रदीप कुमार उर्फ अजोरे पुत्र राममिलन सा0 पोखरभिटवा थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थ नगर वाद संख्या 182/ 2021 धारा 323/504 भा0द0वि0 ।

09.प्रकाश लोध उर्फ प्रभुदयाल लोध पुत्र महन्थ साकिन परसाशुकुरुल्लाह थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर, वाद संख्या 1550/2013 धारा 4/25 आर्म एक्ट ।

10.संतोषी उर्फ संतोष पुत्र राजमन साकिन सोहास दरम्यानी टोला फुलवरिया थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर, वाद संख्या 245/2006 धारा 323/504 भादवि ।

11.राकेश पुत्र रामकमल निवासी डढिया थोना कतोवाली बांसी जनपद सि0नगर सम्बन्धित वाद संख्या-1878/13 धारा-323/504/352/427 भा0द0वि0 ।

12.सन्तराम पुत्र बासुदेव निवासी सुबाषनगर बेलबनवा थाना बांसी जनपद सि0नगर सम्बन्धित वाद संख्या-1298/20 धारा-323/504 भा0द0वि0 ।

13.रामू गौड पुत्र धमालू निवासी गाधीनगर नरकटहा थाना बांसी जनपद सि0नगर सम्बन्धित वाद संख्या-4372/24 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम ।

14.रामरूप पुत्र दलधम्मन निवासी तारा गुजरौलिया थाना बांसी जनपद सि0नगर सम्बन्धित वाद संख्या-470/11 धारा-148/452/323/504/506 भा0द0वि0 ।

15.सुरेन्द्र पुत्र रामरूप निवासी तारा गुजरौलिया थाना बांसी जनपद सि0नगर सम्बन्धित वाद संख्या-470/11 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम ।

16.रामदीन पुत्र सजल निवासी तारा गुजरौलिया थाना बांसी जनपद सि0नगर सम्बन्धित वाद संख्या-470/11 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम ।

17.रामशरण पुत्र हरिहर निवासी गोनहाडीह थाना कोतवाली बांसी जनपद सि0नगर सम्बन्धित वाद संख्या 8320/2023 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम ।

18.धमालू पुत्र टीमल निवासी भरमा थाना बांसी जनपद सि0नगर सम्बन्धित वाद संख्या वाद संख्या 834/16 धारा-323/504/506 भा0द0वि0 ।

प्रेस नोट दिनांक 28.08.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆थाना मोहाना पुलिस, नायब तहसीलदार सदर व SSB ककरहवा की संयुक्त टीम द्वारा बार्डर पर तस्करी रोकथाम के अन्तर्गत 30 बोरी यूरिया खाद को बरामद किया गया।

डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश पर एवं प्रशान्त कुमार प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में व विश्वजीत शौरयान(आई0पी0एस0) क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में रोहित कुमार उपाध्याय थानाध्यक्ष मोहाना के नेतृत्व में आज दिनांक 28.08.2025 को अपराध एवं अपराधियों व रोकथाम तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना मोहाना पुलिस व नायब तहसील सदर व SSB ककरहवा की संयुक्त टीम द्वारा 30 बोरी यूरिया खाद जो ग्राम पतीला में धर्मराज पुत्र श्याम चरण के घर में अवैध रूप से भंडारित किया गया था को बरामद किया गया जिसके सम्बंध में जिला कृषि अधिकारी द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामद करने वाली वाली टीम का विवरण-

01.कैलाश दान AC (GD) SSB ककरहवा मय टीम।

02.नायब तहसीलदार विजय श्रीवास्तव।

4.उ0नि0 वीरेंद्र यादव चौकी इंचार्ज ककरहवा थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।

7.मु0आ0 उमेश कुमार चौकी ककरहवा थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।

8.मु0आ0 सत्येंद्र यादव चौकी ककरहवा थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 28-08-2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना उसका बाजार पुलिस की प्रभावी पैरवी से मारपीट के 02 आरोपियों को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹15,00/-15,00/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 26-08-2025 को वाद सं0 34/2003 एन0सी0आर0 नं0-51/2000 धारा-323,504 भादवि0 थाना उसका बाजार में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री वकील न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) एफटीसी/एसीजेएम जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्तगण 01.रामवेलाश 02.परमात्मा पुत्रगण जवाहिर निवासीगण मरवटिया माफी थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर को न्यायालय उठने तक की सजा ₹15,00/-15,00/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजक अजय कुमार गौतम तथा न्यायालय पैरोकार मु0 आरक्षी श्रीनिवास पासवान थाना उसका बाजार का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 28-08-2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆थाना चिल्हिया पुलिस 01 नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सिद्धार्थनगर के आदेश/निर्देश के क्रम में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थनगर प्रशांत कुमार प्रसाद के कुशल निर्देशन व पवीन प्रकाश क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल पर्यवेक्षण में एवं रामदेव थानाध्यक्ष थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर के द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 81/2025 धारा 318(3)/316(5)/336(2) बीएनएस व 3/7 ईसी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को कन्दवा बाजार से गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही पूर्ण कर आज दिनांक 28.08.2025 को माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

01.वासुदेव प्रसाद जायसवाल पुत्र स्व0 बेकारू राम निवासी ग्राम कन्दवा बाजार थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली टीम पुलिस टीम का विवरण-

01.उ0नि0 शारदा प्रसाद थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर।

02.हे0का0 वासिद अली थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट- दिनांक 28.08.2025 जनपद सिद्धार्थनगर।

◆यातायात पुलिस द्वारा दो पहिया पर तीन सवारी/बिना हेलमेट वाहन चलाना, गलत दिशा मे वाहन चलाना, सड़को के किनारे अवैध अतिक्रमण हटवाने आदि के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

आज दिनांक 28.08.2025 को पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर डॉ० अभिषेक महाजन के आदेश के अनुपालन के क्रम मे, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर प्रशांत कुमार प्रसाद के निर्देशन मे, क्षेत्राधिकारी यातायात सुजीत कुमार राय के कुशल पर्यवेक्षण मे प्रभारी यातायात अमरेश कुमार मय टीम द्वारा साड़ी तिराहा,पावर हॉउस तिराहा, सिद्धार्थ तिराहा,पेट्रोल पम्प तिराहा एवं कस्बा बर्डपुर, ककरहवा, कपिलवस्तु आदि स्थानों पर पी० ए० सिस्टम से आम जनमानस को जागरूक करने के साथ-साथ सड़को के किनारे अवैध रूप से खड़े बड़े वाहनों को जिनसे दुर्घटना की प्रबल संभावना/जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी उनका **M. V. Act** के तहत चालान कर हटवाया गया एवं दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी/बिना हेलमेट वाहन चलाने तथा चार वाहनों मे सीटबेल्ट का प्रयोग न करना, गलत दिशा मे वाहन चलाने वालो का चालान करने समेत कुल 62 वाहनों का चालान करते हुए 78500/- रूपये शमन शुल्क की कार्यवाही करते हुए प्रत्येक दशा मे यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया, जिससे होने वाली सड़क दुर्घटनाओ की संख्या मे भारी कमी लायी जा सके।

प्रेस नोट दिनांक 28-08-2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना भवानीगंज पुलिस की प्रभावी पैरवी से मारपीट के आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹ 500/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 21-08-2025 को वाद सं0 769/2019 एन0सी0आर0 नं0-79/2016 धारा-323 भादवि0 थाना भवानीगंज में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायालय जेएम डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त पुसई पुत्र बुधई निवासी भानपुर रानी थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹ 500/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजक जज कुमार राना तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी सौरव अग्रहरी थाना भवानीगंज का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 28-08-2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना शोहरतगढ़ पुलिस की प्रभावी पैरवी से चोरी करने के 02 आरोपियों को जेल में बिताई गयी अवधि की सजा व ₹ 5,000-5,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 25-08-2025 को वाद सं0 701854/2002 मु0अ0सं0 97/2002 धारा-379,411 भादवि0 व 13 उ0प्र0 खनिज अधिनियम थाना शोहरतगढ़ में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश अनुभव कटियार न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्तगण 1-चौधरी पुत्र दुखी निवासी नीवी सुअरहवा थाना शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर, 02-बृज कुमार पुत्र सत्यनारायन निवासी ढोहरिया खुर्द थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर को धारा 379,511 भादवि के तहत बिताई गयी अवधि की सजा व ₹ 5,000-5,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, संयुक्त निदेशक अभियोजन जयहिन्द त्रिपाठी राना तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी पन्नेलाल थाना शोहरतगढ़ का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 28.08.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज व थाना डुमरियागंज पुलिस के साथ आगामी त्यौहार बारवफात व शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत कस्बा डुमरियागंज, हल्लौर, बेवा में पैदल गश्त किया गया।

आज दिनांक 28.08.2025 को प्रशान्त कुमार प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज व थाना डुमरियागंज पुलिस के साथ आगामी त्यौहार बारावफात तथा कानून एवं शान्ति व्यवस्था तथा सौहार्दपूर्ण माहौल बनाये रखने, आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास एवं सुरक्षा के भाव को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कस्बा डुमरियागंज, हल्लौर, बेवा में सांयकालीन पैदल गस्त किया गया तथा आमजनमानस में सुरक्षा का एहसास कराया गया।

प्रेस नोट दिनांक 28-08-2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆जनपदीय पुलिस द्वारा जनपद में त्यौहार वारावफात तथा विश्वकर्मा पूजा के दृष्टिगत व शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने-अपने सर्किल/थाना क्षेत्रो में पड़ने वाले चिन्हित हाट स्पॉट व उसके आस-पास के क्षेत्रों में पैदल गश्त/चेकिंग किया गया।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में आज दिनांक 28.08.2025 को जनपद के क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्ष द्वारा त्यौहार वारावफात, रबी-उल-अव्वल तथा विश्वकर्मा पूजा के दृष्टिगत व शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने-अपने सर्किल/थाना क्षेत्रो में पड़ने वाले चिन्हित हाट स्पॉट व उसके आस-पास के क्षेत्रों में पड़ने वाले भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गश्त/चेकिंग किया गया। आमजनमानस में सुरक्षा का एहसास कराते हुये जनसंवाद स्थापित किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 28-08-2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर की अध्यक्षता में व क्षेत्राधिकारी इटवा व उप जिलाधिकारी इटवा की मौजूदगी में थाना इटवा पर आगामी पर्व बारावफात के सम्बन्ध में शांति समिति की गोष्ठी की गयी।

डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के अनुक्रम में आगामी त्यौहार को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर की अध्यक्षता में व क्षेत्राधिकारी इटवा व उप जिलाधिकारी इटवा की मौजूदगी में थाना इटवा पर आज दिनांक 28.08.2025 को थानाक्षेत्र के ग्राम प्रधान, बीडीसी, हिंदू मुस्लिम वर्ग के संभ्रांत व्यक्तियों एवं धर्म गुरुओं, व्यापार मण्डल के सदस्यों की उपस्थिति में त्यौहार बारावफ़ात को सकुशल व सौहार्दपूर्ण मनाने हेतु पीस कमेटी की बैठक की गई तथा सभी से वार्ता की गई। सभी को उच्च अधिकारीगण, शासन व माननीय न्यायालय से प्राप्त गाइडलाइन के संबंध में बताया गया तथा सभी से त्यौहारों को सकुशल सम्पन्न करने हेतु अपील की गयी।